2025/92

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2025 (राजसमन्द डिक्री)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढ़बोर जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. ओगडनाथ पिता बाबुनाथ जाति नाथ निवासी कित्तो का बाडिया देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबुनाथ पिता देवनाथ जाति नाथ निवासी बोरी तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रवणनाथ पिता हजारीनाथ जाति नाथ निवासी चेता आसन विजयपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक 13.11.2024 प्रकरण संख्या 30/2024 वाद पत्र

---::---

उपस्थित :– 1– श्री अनिल कुमार बोगारा अभिभाषक अपीलार्थी

2– अक्षय पालीवाल रेस्पो. सं. 1 से 3

---::---

निर्णय **दिनांक 16–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काकरियॉ तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 9 आराजी संख्या 239/161/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि स्थित है जिसके नवीन आराजी नम्बर 239/161 रकबा 1.[illegible]3 हैक्टेयर किस्म हकत 1 जिसके मूल आराजी नम्बर 161 में रकबा 5 बीघा भूमि वर्ष 1974 में आवंटित हुई व खातेदारी हक से राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी के नाम दर्ज हुई। जिसका उपयोग उपभोग आवंटी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उसका परिवार ही करता आ रहा था। उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में वक्त आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नही किया गया। पटवारी हल्का द्वारा वक्त आवंटन सुपुर्द कब्जे अनुसार एवं आवंटित नक्शे अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा चला आ रहा। आवंटित भूमि का आवंटन ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम न किया जाकर वादीगण की बेजानकारी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से आवंटन नक्शा ट्रेस से भिन्न नक्शे में तरमीम कर दिया। जिससे वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर आराजी संख्या 235/161/1 रकबा 5 बीघा से बने नवीन आराजी नम्बर 239/161 रकबा 1.0803 हैक्टेयर का खातेदार घोषित कर वादीगण के कब्जे अनुसार तरमीम कर पैमुद किया जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.11.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी संख्या 235/161/1 रकबा 5 बीघा से बने नवीन आराजी नम्बर 239/161 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि को मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शा सीट में शुद्ध किये जाने का आदेश पारित कर डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.04.2025 यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुये। अपीलान्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी होते ही समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई। अतः देरी को क्षमा किया जाकर मियाद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुये अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अपीलान्ट ने देरी का कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरुन मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावें।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में पूर्व में अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रिकॉर्ड पर नहीं होने से न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना उनका जवाब लिये प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों के विपरीत है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि चारागाह भूमि है, जिसकी खातेदारी दी जाना विधि द्वारा प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से निर्णय पारित किया है। प्रकरण दिनांक 21.05.2024 को दर्ज रजिस्टर होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.07.2024 नियत की गई, उस दिन पीठासन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशी दिनांक 16.10.2024 नियत की गई। दिनांक 16.10.2024 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.10.2024 नियत की गई, जिसमें वादीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से बिना प्रतिवादी को सुने पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.11.2024 को नियत की जाकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से अपास्त् योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री [illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुये अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने सें अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

9. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रकरण दिनांक 21.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.07.2024 नियत की गई। दिनांक 22.07.2024 को पीठासन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.2024 नियत की गई। आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.2024 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से पेशी दिनांक 28.10.2024 नियत की गई। दिनांक 28.10.2024 की आदेशिका अनुसार पत्रावली तलबी एवं शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादुलाल योगी द्वारा वकालतनामा पेश किया जाकर लिखित बहस पेश की गई एवं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.11.2024 नियत की जाकर दिनांक 13.11.2024 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना जवाब लिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होकर अपास्त् योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

16.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested